

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा-8), 2026 एवं
प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2026
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हेतु

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक : शिविरा/प्राशि/पंविप/5-8/दिशा निर्देश/2024/दिनांक : 09.12.2025
(राज काज.रेफ.नं.- 19267624) की निरन्तरता में।

- उपर्युक्त दोनों परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन दिनांक **18.12.2025 (गुरुवार) प्रातः 10:00 बजे** से प्रारंभ किए जा रहे हैं।
- राजकीय विद्यालय/राजकीय संस्कृत विद्यालय/मूक बधिर विद्यालय/अंध विद्यालय/निजी विद्यालय/मदरसों के संस्था प्रधान शाला दर्पण (Exam) पोर्टल के माध्यम से अपने विद्यालय के कक्षा 5 एवं 8 के नियमित विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन भरवायेंगे, **ध्यातव्य है कि आवेदन केवल ऑनलाईन प्रारूप व पोर्टल के माध्यम से ही सबमिट किये जा सकेंगे।**
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 10.01.2026 (शनिवार) रात्रि 11.59 बजे तक है। इस समय सीमा के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 5 एवं 8 में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं की वांछित सूचनाएं सम्बन्धित पोर्टल पर विद्यालय अभिलेख के अनुसार शत-प्रतिशत सही हों **(विस्तृत निर्देशों हेतु प्रासंगिक पत्र – 09.12.2025, सुलभ संदर्भ यथा संलग्नक)।** उक्तानुसार संस्था व छात्रों से संबंधित समस्त सूचनाओं की विशुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित पोर्टल पर ऑनलाइन 'आवेदन पत्र मॉड्यूल' में प्रत्येक परीक्षार्थी की पूर्व उपलब्ध सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। विद्यार्थी का विवरण विद्यालयी अभिलेखों के अनुसार मिलान कर उसकी विशुद्धता बाबत पूर्ण आश्वस्त होने के उपरान्त ही पोर्टल पर विहित प्रक्रिया अनुसार आवेदन सबमिशन/लॉक किया जावे। **विद्यालय स्तर से ऑनलाईन आवेदन पत्र के लॉक एवं अन्तिम सबमिशन के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमत नहीं होगा।**
- परीक्षार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि दोनों का डिजिटल साइज **5 से 50 KB (Kilobytes)** के मध्य ही हो एवं इमेज **JPG/JPEG** फाइल/फॉर्मेट में ही सेव्ड/संधारित हो।
- परीक्षार्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद ड्राफ्टेड/प्रिव्यू आवेदन को पोर्टल पर व्यू टैब के माध्यम से डाउनलोड किया जाकर इसकी पुनः जांच की जावे।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रक्रिया के चरण:-
 - सर्वप्रथम शाला दर्पण पोर्टल के **5th & 8th Exam** लिंक को क्लिक करें।
 - अब स्कूल लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करें।
 - तदुपरान्त Exam Activity टैब पर उपलब्ध, आवेदन पत्र (Application) लिंक, पर क्लिक करें।
 - अब विद्यालय के कक्षा 5 एवं 8 के विद्यार्थियों की पोर्टल पर पहले से उपलब्ध सूचना व वास्तविक विद्यार्थी अभिलेखों का मिलान करते हुए विद्यार्थी का ऑनलाईन आवेदन पत्र भरें।
 - कक्षा के सभी विद्यार्थियों के आवेदन एक-एक करके ही भरे जाने हैं।
 - सभी आवेदनपत्र भरने के पश्चात् Exam Activity टैब के आवेदन स्थिति (Application Status) लिंक पर जावें।
 - यहां संबंधित कक्षा के सभी विद्यार्थियों के आवेदन की स्थिति जांचें।
 - (Application Status) लिंक में आवेदन पत्र की स्थिति जांचने के लिए (ब्राउजर पर पॉप अप ब्लॉकर हटाकर) आवेदन पत्र का प्रिंट प्रिव्यू देखें तथा प्रिंट निकालकर जांच अवश्य करें।
 - सभी विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाईन सेव/संधारित होने के पश्चात् ही फाइनल लॉक करें।
 - अब आप कक्षावार सबमिट आवेदन पत्रों की समेकित सूची डाउनलोड एवं प्रिंट कर सुरक्षित रखें।
 - जब तक आवेदन पत्र पर एप्लीकेशन नम्बर प्रिंट ना हो तब तक आवेदन पत्र को सबमिट नहीं माना जायेगा। अतः आवेदन पत्र का प्रिंट लेने से पहले आवेदन पत्र पर एप्लीकेशन नम्बर जनरेट करवाने का अति महत्वपूर्ण चरण पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

- तत्पश्चात् उक्तानुसार लॉक व सबमिशन/एप्लिकेशन नम्बर जनरेटेड आवेदन पत्रों (एप्लीकेशन नम्बर युक्त) को भी प्रिण्ट कर सुरक्षित रखें।
- 9. परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अन्य जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट <http://education.rajasthan.gov.in> एवं शाला दर्पण/पीएसपी वैबपोर्टल का निरंतर अवलोकन करते रहें।
- 10. ऑनलाइन परीक्षा आवेदन किये जाने से सम्बन्धित किसी प्रकार की असुविधा/समस्या/दुविधा होने की स्थिति में अपने जिले की डाईट अथवा ब्लॉक के सीबीईओ कार्यालय से सम्पर्क करें।
- 11. शेष कार्यवाही कार्यालय स्तर से जारी होने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुरूप सम्पादित करावें।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- यथा-ई-हस्ताक्षर

क्रमांक: शिविरा/प्राशि/पंविप/5-8/दिशा निर्देश/2025-26

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राज., उदयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, मदरसा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, (संभाग स्तरीय) को प्रभावी प्रबोधन व पर्यवेक्षण हेतु।
7. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. जयपुर।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
9. सिस्टम एनॉलिस्ट (एस.ए), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उक्त निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. उप निदेशक, शाला दर्पण, शिक्षा संकुल, जयपुर।
11. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी शाला दर्पण अनुभाग, निदेशालय मा.शि/प्रा.शि.राजस्थान।
12. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी, पी.एस.पी. पोर्टल, निदेशालय मा.शि/प्रा.शि.राजस्थान।
13. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण/शैक्षिक/माध्यमिक/गुणवत्ता एवं नवाचार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
14. प्राचार्य डाईट समस्त को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा सतत प्रबोधन व पर्यवेक्षण हेतु।
15. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) मा.शि./प्रा.शि, समस्त को सतत पर्यवेक्षण हेतु।
16. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को उक्तानुसार अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों से कार्यवाही सम्पादित करवाने के क्रम में सतत प्रबोधन हेतु।
17. समस्त संस्थाप्रधान राजकीय/निजी/मदरसे/संस्कृत विद्यालय को समयबद्ध रीति से कार्य सम्पादित करने बाबत पालनार्थ।
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

Document certified by SITA RAM JAT
<CATOPIJ599@REGAPTS.COM>.

Digitally Signed by SITA
RAM JAT

Designation : Director

Date :17-12-2025 06:33:46

RajKaj Ref No.:
19444943

eSign DSC